

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीवखीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रकरण :- 112/2021

राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अजीज खां पुत्र मेहरदीन
2. मोहम्मद काश्म पुत्र गाजी खां
3. जमी पत्नि गाजी खां
जाति मुसलमान नि. नूरे की भुर्ज
तहसील बाप जिला जोधपुर

01. सखीन पुत्र निम्बे खां
02. पिरोजा खातुन पत्नि ऊमान खां
03. ठजूर खां पुत्र ऊमान खां
04. यास्मिन खां पुत्र ऊमान खां
05. अमानुल्ला पुत्र ऊमान खां
06. सतबाई पत्नि अब्दुल
07. मुस्ताक पत्र अब्दुल
08. शाले मोहम्मद पुत्र ऊमान
09. खेरदीन पुत्र ऊमान
जाति मुसलमान
निवासी नूरे की भुर्ज
तहसील बाप जिला जोधपुर
10. राखी अग्रवाल पत्नि जितेन्द्र
कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल
नि. शास्त्रीनगर, जोधपुर
11. कैलाशचन्द्र पुत्र मांगीलाल
जाति ओसवाल नि. बरतभागर
योजना, जोधपुर
12. हबीबों पत्नि अजीज खां
जाति मुसलमान
निवासी नूरे की भुर्ज त. बाप
13. मुस्ताक पुत्र अ. वाहिद
14. अमीन पुत्र अ. वाहिद
15. फारूक पुत्र अ. वाहिद
16. गाजी खां पुत्र मेहरदीन
17. अजीजों पत्नि ईशाक
जाति मुसलमान
निवासी नूरे की भुर्ज तह बाप
18. अब्दुल खां पुत्र नूरदीन खां
19. गाजी खां पुत्र नूरदीन खां
20. हलीम खां पुत्र नूरदीन खां
21. बिलाल खां पुत्र नूरदीन खां
22. रईस खां पुत्र नूरदीन
23. इब्राहिम खां पुत्र नूरदीन
24. अलाबचाया पुत्र खैरमोहम्मद

hijpa
उप खण्ड 23/12/2021

- जाति मुसलमान नि. ननेऊ
तहसील बाप जिला जोधपुर
25. इसाक पुत्र गुलाम
 26. युसुफ पुत्र इरुदाक ना. बा.
जारिये कु. पि. इरुदाक पुत्र हाजीगुलाम
 27. मजीब पुत्र सबाबीन
 28. अलाबकश पुत्र खेरमोहम्मद
 29. रईसों पतिन कासम खां
 30. सफीयात पतिन सबीक
जाति मुसलमान
निवासी नूरे की भुर्ज तह. बाप
जिला जोधपुर (राज०)
 31. शाररा प्रबन्धक एम्.बी.आई
शाररा फलोबी जिला जोधपुर
 32. शाररा प्रबन्धक एम्.बी.आई
शाररा बाप जिला जोधपुर
 33. श्रीमान तहसीलदार, बाप

उपस्थित :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक:- 23.12.2022

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 256 रकबा 63-02 बीघा, प्रार्थीगण सं. 2 ता 3 व अप्रार्थीया सं. 29 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 256/1 रकबा 64-00 बीघा तथा अप्रार्थीया सं. 30 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 256/2 रकबा 64-10 बीघा सरहद मौजा नूरे की भुर्ज पट्टार क्षेत्र नूरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार अपने हिस्से पर कब्जा व काइत आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग-अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टंका, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणी में प्रार्थीगण अपने परिवार सहित बारह डी मास निवास करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की भूमि पैमाईश करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब बाप के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया और तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने क्रमांक 119, 120, व 121 दिनांक 10.06.2021 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पट्टारी डल्ला को दिये। पट्टारी डल्ला उक्त आदेश की पालना में दिनांक 16/07/2021 को मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में उक्त भूमि

diwan
23.12.2022
उप उपस्थित अधिकारी-बाप

मूल खसरा नम्बर 256 रकबा 191-12 बीघा की पैमाईश मुद्राकिल बिन्दू से की तथा तहसील कार्यालय में जमा करवा दी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को सुनाया गया और उक्त फर्द नियमानुसार और खूटे रोपने लगे तो उक्त भूमि के पड़ोसी खातेदार अप्रार्थीगण सं. 1 ता 28 ने पैमाईश प्रार्थीगण की हद में खूटे रोपने से मना कर दिया। अभी प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की उक्त भूमि में काइत कर रवरी है, उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की गई काइत को आवारा पड़ुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है और प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 16.07.2021 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 32 बावजूद तामिल नोटिस हाजिर नहीं हुए उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 33 सरकारी पैराकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि ग्राम नुरे की भुर्ज पत्वार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 256 रकबा 63.02 बीघा, खसरा नम्बर 256/1 रकबा 64.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 256/2 रकबा 64.10 बीघा भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण की हद में पैमाईश फर्द दिनांक 16.07.2021 के अनुसार प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रवरी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ग्राम नुरे की भुर्ज पत्वार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 256 रकबा 63.02 बीघा, खसरा नम्बर 256/1 रकबा 64.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 256/2 रकबा 64.10 बीघा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने-अपने हिस्से पर कब्जा व काइत आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीनीगण द्वारा की जा रही काइत को आवारा पड़ुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये प्रार्थीगण दिनांक 16.07.2021 को हुई भूमि पैमाईश अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत

hiwpu
उप सप्टेड अधिकारी-बाप

072-2075, नक्शा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। ग्राम नुरे की भुर्ज पट्टार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 256 रकबा 63.02 बीघा, खसरा नम्बर 256/1 रकबा 64.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 256/2 रकबा 64.10 बीघा भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है, प्रार्थीगण ने दिनांक 16.07.2021 को उक्त भूमि की नियमानुसार देमाईश करवाई थी जो मौका फर्द से प्रमाणित होता है। रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थर गड़्डी करवाने का पूरा-पूरा अधिकार है, सरकारी पैरोकार ने भी उक्त भूमि की पत्थर गड़्डी किया जाना उचित बताया है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की अपनी हद में पत्थर गड़्डी करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नुरे की भुर्ज पट्टार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 256 रकबा 63.02 बीघा, खसरा नम्बर 256/1 रकबा 64.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 256/2 रकबा 64.10 बीघा भूमि की पत्थर गड़्डी मौका फर्द दिनांक 16.07.2021 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुये किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड़्डी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो, दारिद्रल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

hiapan
(मांगीलाल आर.ए.एस.)
अधीक्षक फलवट-बाप
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)